

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05.11.2018

मध्यप्रदेश राज्य के विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आयोग द्वारा प्रेक्षको की नियुक्ति कर दी गई है। जिसमें सामान्य प्रेक्षक – 198, जिन्हे दिनांक 09.11.2018 से 11.12.2018 तक तैनात किये गये है। पुलिस प्रेक्षक – 53 जिन्हे 09.11.2018 से 28.12.2018 तक तैनात किये गये है। व्यय प्रेक्षक – 127 एवं Accessibility प्रेक्षक – 02 की संख्या में नियुक्त किये गये है। प्रेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, आईपी तथा टीएएफएस, आईएएस, तथा आईसीएस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है जो दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड में पदस्थ है।

सभी व्यय प्रेक्षक उन्हे आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 02.11.2018 को उपस्थित हो चुके है। सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 09.11.2018 के पूर्व आवंटित विधानसभा में आयोग के निर्देशानुसार पहुंचेंगे। Accessibility प्रेक्षक हेतु आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा भ्रमण कार्यक्रम बनाया जावेगा। उपरोक्त प्रेक्षको की सूची CEO मध्यप्रदेश की साईट पर डायरेक्ट्री में देखी जा सकती है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05.11.2018

मध्यप्रदेश राज्य के विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु अधिसूचना 02.11.2018 को किया जाकर नामनिर्देशन पत्रों का विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 02 नवम्बर से अभी तक कुल 76 नाम निर्देशन प्राप्त हुए हैं। साथ ही नाम निर्देशन भरने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र फार्म-26 जिसे आयोग के निर्देशानुसार चिन्हित स्थानों एवं वेबसाईट में प्रदर्शित किया जा रहा है। शपथ पत्र को ceomadhyapradesh.nic.in की वेबसाईट में Affidavits लिंक में जाकर देखा जा सकता है। अभी तक 76 में से 63 अभ्यर्थियों ने Affidavits जमा किये हैं।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05.11.2018

मतदान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना पड़ेगा।

1. पासपोर्ट
2. ड्रायविंग लायसेंस
3. राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
4. बैंको, डाक घरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
5. पेनकार्ड
6. आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
11. सांसदों, विधान परिषद सदस्यों एवं विधायकों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र
12. आधार कार्ड